एपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

पंजीकृत कार्यालय : ए-223, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1 नई दिल्ली-110020
सीआईएनः U74899DL1978NPL008877 टेलीफैक्स : 011-40501798
ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com

असाधारण आम बैठक की सूचना

क्रमशः साधारण परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सं. 17/20 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तथा सं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र/त्रों") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुपालन में असाधरण आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए परिषद की असाधारण आम बैठक किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना शनिवार, 16 अक्टूबर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

एमसीए परिपत्र/त्रों के सन्दर्भ में ईजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा उन सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते परिषद के साथ पंजीकृत हैं। असाधारण आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रति सदस्यों के पास भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्र/त्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गयी है। यदि कोई सदस्य अपना ई-मेल आईडी परिषद के साथ पंजीकृत कराना चाहता है तो वह कम्पनी के नाम, सदस्यता संख्या, अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर सहित **aepc.egm.2021@aepcindia.com** पर ई-मेल कर सकता है।

सदस्य ध्यान दें कि परिषद के सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक हो चुकी है। अतः कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 के नियम 20(2) के साथ पठित धारा 108 के अनुसार असाधारण आम बैठक में होने वाले समस्त प्रस्तावों का निष्कर्ष ई-वोटिंग के माध्यम से सम्पन्न होगा।

यह भी ध्यान दें कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के अनुसार उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस असाधारण आम बैठक में उपलब्ध नहीं है। किन्तु निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने तथा वहाँ भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 ("नियम") द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के अनुसार यह परिषद असाधरण आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को सक्षम करने हेतु ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

असाधरण आम बैठक ("रिमोट ई-वोटिंग") के अलावा किसी अन्य स्थल से सदस्यों को अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग से करने तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

अधिनियम तथा नियमावली के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने वाले अनुपालन का विवरण नीचे दिया गया है:

क) असाधारण आम बैठक के संबंध में दिनांक 18 सितंबर, 2021 के नोटिस में सूचीबद्ध सभी संकल्पों पर केवल इलैक्ट्रानिक विधियों से ही संव्यवहार किया जाना है।

ख) रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी तथा दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार) को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 को सायं 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने असाधारण आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने की पात्रता का निर्धारण करने की कट-ऑफ तिथि 09 अक्टूबर, 2021 (शनिवार) है, तथा तदनुसार जिन सदस्यों का नाम कट-ऑफ तिथि को परिषद द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वही सदस्य रिमोट ई-वोटिंग एवं असाधारण आम बैठक में साथ वोट कर सकेंगे।

घ) नोटिस के प्रेषण के पश्चात यदि कोई कट-ऑफ तिथि अर्थात 09 अक्टूबर, 2021 तक सदस्यता धारण करता है तो वह evoting@nsdl.co.in के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

ङ) सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे असाधारण आम बैठक के नोटिस में दिए गए प्रत्येक नोट एवं विशेषतः असाधारण आम बैठक में भाग लेने के निर्देशों, रिमोट ई-वोटिंग अथवा असाधारण आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के दौरान वोट डालने के तरीके का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

च) असाधारण आम बैठक का नोटिस परिषद की वेबसाइट www.aepcindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

छ) यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) तथा शेयरधारकों के ई-वोटिंग उपयोक्ता मैनुअल से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बरः 1800-1020-990 एवं 1800-224-430 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई -400013 में श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से उनके निर्दिष्ट ईमेल पते : evoting@nsdl.co.in अथवा AmitV@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा टेलीफोन नम्बरः +91-22-2499 4360 अथवा +91-99202 64780 अथवा +91 22 2499 4545, पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग करने से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे।

ज) सदस्य, कृपया यह ध्यान दें कि : क) एनएसडीएल द्वारा ऊपर उल्लिखित तिथि एवं समय के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा तथा किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के पश्चात उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति सदस्य को नहीं दी जाएगी; ख) असाधारण आम बैठक में भाग लेने से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट कर चुके सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु असाधारण आम बैठक के आयोजन के दौरान उन्हें ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः वोट देने की अनुमति नहीं होगी; ग) असाधारण आम बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्यों को असाधारण आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की अनुमति प्राप्त होगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं दिया है; तथा घ) ऐसे व्यक्ति को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने, असाधारण आम बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों के माध्यम से भाग लेने तथा असाधारण आम बैठक में ई-वोटिंग करने की अनुमति प्राप्त होगी, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक परिषद में अनुरक्षित रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है।

झ) इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 91 के उपबंधों के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर असाधारण आम बैठक के उद्देश्य से रविवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 16 अक्टूबर, 2021 (दोनों दिन सहित) तक बंद रखा जाएगा।

कृते एपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

दिनांक : 23 सितंबर, 2021
स्थान : नई दिल्ली

सुमित गुप्ता
(सेक्रेटरी)

नई दिल्ली Vansatta (Delhi edition) dated 24/09/2021